न्यायमूर्ति एम. एम. एस. बेदी और गुरविंदर सिंह गिल, के समक्ष.

आरती -अपीलकर्ता

बनाम

जगदीश-प्रतिवादी

एफ. ए. ओ. No.4220/2016

24 जनवरी, 2018

संरक्षक और वार्ड अधिनियम, 1890-धारा 4 (5) और 9-याचिका दायर करने से पहले बच्चों को सामान्य निवास स्थान से हटाने पर-संरक्षक न्यायाधीश के क्षेत्र अधिकार को हटाया नहीं जाएगा।

यह मानते हुए कि दिनांक 26.02.2016 के उपरोक्त आदेश के अवलोकन से संकेत मिलता है कि अदालत को दी गई जानकारी के आधार पर कि बच्चों को राजस्थान के अलवर जिले में स्थानांतरित कर दिया गया था, बच्चों का सामान्य निवास स्थान अलवर, राजस्थान होगा, इसलिए गुड़गांव के न्यायालय के पास अधिकार क्षेत्र नहीं था।निचली अदालत इस तथ्य की सराहना करने में विफल रही कि भले ही प्रतिवादी-पति का कथन सही माना जाता है, यानी बच्चों को अलवर, राजस्थान में 02.02.2015 पर स्थानांतरित कर दिया गया है, लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि बच्चों की कस्टडी के लिए याचिका 16.05.2015 पर दायर की गई थी।विपक्षी पक्ष द्वारा याचिका दायर करने से पहले तीन महीने की सामान्य जगह अभिवाद्कों के अधिकार क्षेत्र को बंधित नहीं करती है और एक पक्ष का दावा करती है ।

(पैरा 5)

अपीलकर्ता के लिए कोई नहीं।

प्रतिवादी अभिमन्यु सिंह की तरफ से वकील सुनीता नांबियार।

एम. एम. एस. बेदी, जे.

(1) अपीलार्थी-पत्नी ने धारा 7 और 27 गुड़गांव में हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम की खंड 6 के साथ पठित संरक्षक और वार्ड अधिनियम, 1890 के तहत अपने दो नाबालिग बच्चों मास्टर जीत और मास्टर आयुष की हिरासत के लिए याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि दोनों नाबालिग जन्म से ही याचिकाकर्ता-पति की हिरासत में थे और गुड़गांव में रह रहे थे।

2) उसने दावा किया कि मार्च 2011 में उसके पति ने उसे पीटा था।वह कुछ समय के लिए अस्पताल में भर्ती रही फिर अक्टूबर 2013 के महीने में फिर से अपीलकर्ता को उसके पति ने पीटा और बिना किसी कारण के जुलाई 2014 को प्रतिवादी की दहेज की मांग पूरी नहीं होने के कारण ऐसी ही घटना हुई।उसके पति और परिवार के सदस्यों द्वारा 2.2.2015 पर उसकी पिटाई के बाद अपीलकर्ता अपने माता-पिता के घर वापस आ गयी और गुड़गांव में अपने माता-पिता के घर में रह रही थी ।

(3) प्रत्यर्थी-पति ने जवाब में यह स्वीकार करते हुए एक याचिका दायर की थी कि वह रवि सिक्यूरिटी सर्विसेज का कर्मचारी के होने के नाते गुड़गांव में रह रहा था, लेकिन अपीलकर्ता ने 02.02.2015 को कड़कड़ाती ठंड में दो नाबालिग बच्चों को छोड़ दिया था जिसके कारण उसने अपना निवास स्थान गुड़गांव से गाँव खैरथल, अलवर, राजस्थान में बदल दिया।

(4) परिवार न्यायालय ने उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए 26.2.2016 पर निम्नलिखित आदेश पारित किया जिसमें अपीलकर्ता को नाबालिगों के अभिभावक के रूप में नियुक्त करने और बच्चों की हिरासत के लिए आवेदन को खारिज कर दिया गयाः

> "दोनों पक्ष आज पेश हुए और प्रतिवादी ने दोनों पक्षों के दो छोटे बच्चे जीत और आयुष को पेश किया। अधोहस्ताक्षरित ने बच्चों से बात की है और वे दोनों याचिकाकर्ता से बात करने के लिए तैयार नहीं हैं।छोटे बच्चे ने याचिकाकर्ता की पहचान भी नहीं की।बड़ा बच्चा याचिकाकर्ता को अपनी माँ के रूप में पहचानने में सक्षम है और उसने उससे बात करने से इनकार कर दिया है । उसने कहा है कि वह अपनी माँ के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता और उसे पसंद नहीं करता है।इस अदालत के संज्ञान में लाया गया है कि दो बच्चे वर्तमान में राजस्थान के अलवर के खैरथल में रह रहे हैं और दोनों पिछले एक साल से अधिक समय से वहां स्कूल में पढ़ रहे हैं।चूँकि बच्चों का सामान्य स्थान गाँव खैरथल, अलवर, राजस्थान है, इसलिए इस अदालत को इस याचिका पर विचार करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है।याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने कहा है कि वह इस याचिका को वापस नहीं लेना चाहते हैं।चूँकि इस अदालत के पास इस याचिका पर विचार करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है, इसलिए इसे क्षेत्राधिकार के अभाव में इसे खारिज कर दिया गया है।फाइल को रिकॉर्ड रूम में भेजा जाए।"

(5) उपर्युक्त आदेश दिनांक 26.02.2016 के अवलोकन से पता मिलता है कि न्यायालय को दी गई जानकारी के आधार पर कि बच्चों को जिला अलवर में राजस्थान में स्थानांतरित कर दिया गया, बच्चों का सामान्य निवास स्थान अलवर, राजस्थान होगा, इसलिए गुड़गांव की अदालत के पास अधिकार क्षेत्र नहीं है । ट्रायल कोर्ट 270 पर विफल

रहा इस तथ्य की सराहना करते हुए कि भले ही प्रतिवादी-पति का दावा सही नहीं है कि बच्चों को अलवर, राजस्थान में 2.2.2015 पर स्थानांतरित कर दिया गया है, यह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि बच्चों की अभिरक्षा के लिए याचिका 16.5.2015 पर दायर की गई थी। विरोधी पक्ष द्वारा याचिका दायर करने से तीन महीने पहले नाबालिग बच्चों को उनके सामान्य निवास स्थान से ले जाने से संरक्षक न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र में किसी पक्ष के दावे पर निर्णय लेने पर रोक नहीं लगेगी।

(6) संरक्षक और वार्ड अधिनियम की खंड 4 के अनुसार, खंड 4 (5) में "न्यायालय" की परिभाषा इस प्रकार हैः

> “4. परिभाषाएँ।- इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कुछ प्रतिकूल न हो
>
> XXXXXXXXXX
>
> (5) "न्यायालय का अर्थ है -
>
> (क) जिला न्यायालय, जिसे इस अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को संरक्षक नियुक्त करने या घोषित करने के आदेश के लिए आवेदन पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है; या
>
> (ख) जहाँ संरक्षक नियुक्त या घोषित किया गया है। ऐसे किसी भी आवेदन का अनुसरण -
>
> (i) वह न्यायालय, या उस अधिकारी का न्यायालय, जिसने संरक्षक को नियुक्त या घोषित किया है या इस अधिनियम के तहत संरक्षक को नियुक्त या घोषित किया हुआ माना जाता है।

(ii) वार्ड के व्यक्ति से संबंधित किसी भी मामले में जिला न्यायालय के क्षेत्राधिकार के स्थान पर होता है जहाँ वार्ड आम तौर पर उस समय रहता है।

(ग) धारा 4-क के तहत स्थानांतरित किसी भी कार्यवाही के संबंध में, उस अधिकारी का न्यायालय जिसे ऐसी कार्यवाही स्थानांतरित की गई है;

(7) धारा 4 (5) और धारा 9 के तहत "न्यायालय" की परिभाषा के अनुसार, और सभी के व्यक्ति की संरक्षकता के संबंध में धारा जिला न्यायालय को दी जानी चाहिए जहां नाबालिग सामान्य रूप से रहता है।यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि जब बच्चों को उनके सामान्य निवास स्थान से हटा दिया जाता है, तो उस क्षेत्र का न्यायालय अधिकार क्षेत्र को जब्त नहीं करेगा।अधिकार क्षेत्र निर्धारित करने के लिए जाँच नाबालिग का सामान्य निवास स्थान है। नाबालिग और उस जगह को अपना सामान्य निवास बनाने का इरादा रखता है।इस संदर्भ में, रुचि में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानून निर्धारित किया गया है। माजू बनाम संजीव माजू 1.कोंडुपर्थी में वेंकटेश्वरलु बनाम रामवरपु विरोजा नंदा 2 में यह देखा गया कि "जहां नाबालिग सामान्य रहता है" अभिव्यक्ति का उपयोग करने का उद्देश्य संभवतः इस शरारत से बचने के लिए नाबालिग को चौरी से दूर की जगह पर ले जाया जा सकता है और अगर उसे जबरन वहां रखा जा सकता है, तो नाबालिग की संरक्षण के लिए आवेदन जिला न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर दायर किया जा सकता है जहां से उसे हटा दिया गया था और दूसरे शब्दों में उस स्थान पर जहां नाबालिग रहता हो, उस निष्कासन से पहले रहने के लिए।

(8) उपरोक्त परिस्थितियों में, हमारी राय है कि जिला न्यायाधीश, परिवार न्यायालय गुड़गांव ने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से अपीलकर्ता के वकील को याचिका वापस लेने के लिए मजबूर करके और इस निष्कर्ष पर पहुँचकर कि उक्त न्यायालय के पास अधिकार

क्षेत्र नहीं है, निवास के संबंध में मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए अचानक एक टालमटोल वाला दृष्टिकोण अपनाया है।अदालत को इस तथ्य पर विचार करना चाहिए था कि प्रतिवादी-पति का आरोप था कि याचिका दायर करने की तारीख से कुछ महीने पहले, उसने बच्चों को राजस्थान भेज दिया था, हालांकि, वह उस अवधि से पहले गुड़गांव में रह रहा था और काम कर रहा था।नीचे दिए गए न्यायालय को अभिवचनों के आधार पर अधिकार क्षेत्र से संबंधित मुद्दे पर निर्णय लेने और निष्कर्ष देने की आवश्यकता थी।ट्रायल कोर्ट द्वारा अपनाया गया शॉर्टकट सी. पी. सी. के आदेश 20 नियम 5 का उल्लंघन है जिसमें कोर्ट को किसी विशेष मामले में उत्पन्न होने वाले प्रत्येक मुद्दे पर अपना निर्णय देने की आवश्यकता होती है।इस प्रकार 26.2.2016 दिनांकित आदेश कायम नहीं हो सकता और इसे बरकरार रखा जा सकता है।

(9) अपील की अनुमति है।विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और मूल याचिका बहाल कर दी जाती है।जिला न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, गुड़गांव को निर्देश दिया जाता है कि वे कानून के अनुसार मुद्दों को तैयार करके दोनों पक्षों द्वारा अपनी दलीलों में उठाई गई याचिकाओं पर मुद्दों को तैयार करके याचिका पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लें।

(10) इस आदेश में उल्लिखित कुछ भी गुण-दोष के आधार पर किसी भी पक्ष के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा।

(11) पार्टियों को कानून के अनुसार आगे की कार्यवाही के लिए 17.3.2018 पर परिवार न्यायालय, गुड़गांव के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

(12) चूंकि अपीलकर्ता उपस्थित नहीं है, इसलिए आदेश की एक प्रति अपीलकर्ता के साथ-साथ श्री विवेक अग्रवाल, अधिवक्ता को भेजी जाए, जिन्होंने याचिका दायर की थी।

अपील करें।चूंकि प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व प्रॉक्सी वकील सुश्री सुनीता नांबियार, अधिवक्ता द्वारा किया जाता है, इसलिए प्रतिवादी को परिवार न्यायालय, गुड़गांव के समक्ष सुनवाई की तारीख के संबंध में नोटिस माना जाएगा।

संजीव शर्मा, संपादक

अस्वीकरण - स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देशय के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा

सविता
4H16JG
ट्रांसलेटर